# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

**(जन–सम्पर्क अनुभाग)**

(प्रेस विज्ञप्ति)

## राजस्व उपखण्डों में विद्युत विपत्रों में त्रुटि सुधार प्रातः 10 से 2 बजे तक

जयपुर, 03 सितम्बर। प्रदेश के सभी राजस्व उपखण्डों में विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने एवं उनकी बिजली बिल सहित अन्य शिकायतों के समाधान का कार्य सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 10 से मद्यान्ह् 2 बजे तक किया जाएगा।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्रीमत् पाण्डेय ने बताया कि विद्युत विपत्रों में त्रुटि की मिल रही शिकायतों के मध्यनजर यह व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर निदान होगा एवं निगम को होने वाली आर्थिक हानि को भी रोका जा सकेगा।

राजस्व उपखण्डों में कर्मचारियों के कार्यालयों में समय पर उपस्थित नही होने से उपभोक्ताओं की विद्युत विपत्र की त्रुटि सुधार का कार्य समय पर नही होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है इससे एक ओर जहां निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है वहीं दूसरी ओर इससे निगम की छवी भी धूमिल होती है। डिस्कॉम प्रबन्धन से इस तरह की प्राप्त हो रही शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए यह निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर सहायक राजस्व अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से विद्युत विपत्रों के सुधार सम्बन्धित कार्य सुनिश्चित करेगें।

———————

**प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 435/2016**